उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-05/2021/20सी.एम./26-3-2021

लखनऊ दिनांकः 11 जनवरी, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-3646/26-3-2010, दिनांक 28.12.2010 द्वारा प्रदेश के तुरहा, तुरैया को तुरैहा के समान अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने विषयक समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0 को निर्देश दिये गये थे।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 28.12.2010 को शासनादेशों की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु आईजीआरएस सन्दर्भ संख्या-60000200187518 व संख्या-60000200187520 द्वारा अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में सम्यक विचारोंपरान्त उक्त शासनादेश संख्या-3646/26-3-2010, दिनांक 28.12.2010 (प्रतिलिपि संलग्न) को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने का निर्णय लिया गया है।

संलग्नक-यथोक्त।

राकेश कुमार सचान

अनु सचिव।

पृ0सं0-05/2021/20सी.एम.(1)/26-3-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, आयुक्त व सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।

2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0, लखनऊ।

4- गार्ड फाइल।

राकेश कुमार सचान

अनु सचिव।

संख्या– 3646 / 26–3–2010

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 28 दिसम्बर, 2010

विषयः– तुरहा, तुरैया को तुरैहा के समान अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बिना समुचित छानबीन किये तुरैहा जाति के प्रमाण पत्र बनाने में राजस्व अधिकारियों द्वारा हीला हवाली की जा रही है। साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु तुरहा, तुरैया व तुरैहा में भेद करते हुए प्रमाण पत्र निर्गत न किये जाने का आधार माना जा रहा है जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि किसी व्यक्ति की जाति उसके नाम के समक्ष अंकित जाति सूचक शब्द के आधार पर निर्धारित नही होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय राजस्व अधिकारियों को उस व्यक्ति के नाम के समक्ष लिखे जा रहे जाति सूचक शब्द अथवा उसके जीविकोपार्जन हेतु अपनाये जाने वाले व्यवसाय इत्यादि को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु ही आधार नहीं माना जाना चाहिए। इस संबंध में शासनादेश संख्या–4370 / 26–3–2001–3(28) / 78, दिनांक 27–9–2001 में यह उल्लेख किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु केवल 1359 फसली को ही आधार न माना जाये अपितु आवेदक के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव के तथा आस पास के निर्विवादित परिवारों से स्थलीय पूछतांछ / जांच पड़ताल, कुटुम्ब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं की टी0सी0 एवं अन्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों / साक्ष्यों का पूर्ण रूप से परीक्षण आदि को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आधार माना जायेगा।

अतः इस संबंध में मुझे भी यह कहने का निदेश हुआ है कि भली भांति जांच एवं संबंधित अभिलेख यथा–1359 फसली, निर्विवादित तुरैहा परिवारों से स्थलीय पूछतांछ / जांच पड़ताल, कुटुम्ब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं की टी0सी0 इत्यादि के आधार पर तुरैहा जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Santosh G.O

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि जाति प्रमाण—पत्र को निर्गत करने हेतु केवल एक ही प्रमाण को ही आधार मानने के स्थान पर यदि अनेक बिन्दुओं पर उसकी प्रमाणिकता की जांच करा ली जाती है तो जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में संशय की स्थिति नहीं रहेगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी जाति विशेष का निर्धारण करने के किसी शब्द की वर्तनी (spelling)/ अनुस्वार/व्यक्ति का व्यवसाय अथवा उसके नाम के समक्ष लिखी गयी जाति को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु आधार नहीं माना जायेगा और इनके आधार पर किसी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किया जाना चाहिए।

अतः उपरोक्तानुसार भलीभांति पूछतांछ/जांच पड़ताल करते हुए तुरैहा जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय,

(बी0एल0 मीणा)
सचिव

संख्या—3646(1)/26—3—2010 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0।
2. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
3. गार्डबुक

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनुसचिव

Santosh G.O